



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3639]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2018/भाद्र 21, 1940

No. 3639]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4797(अ)**— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, राजस्थान कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री राम खिलाड़ी मीना, आईएएस (सेवानिवृत्त), -- अध्यक्ष  
बी-75, शंकर विहार,  
50 फीट गैटोर रोड, स्वाई गैटोर,  
जयपुर 302017
2. डॉ. अनिल गोयल, आईएफएस (सेवानिवृत्त), -- सदस्य  
एफ 2/1, फोरेस्ट कालोनी,  
सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर।
3. सचिव, पर्यावरण विभाग, -- सदस्य-सचिव  
राजस्थान सरकार।

2. प्राधिकरण, राजस्थान का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों।

4. प्राधिकरण, राजस्थान अपने विनिश्चय इस आदेश के पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के पश्चात् करेगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, राजस्थान की सहायता करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री मनोज कुमार अग्रवाल, - अध्यक्ष ;  
जिज्ञाशा, 153 विवेक विहार,  
दैनिक भास्कर के सामने, जेएलएन मार्ग,  
जयपुर 302015
2. श्री पुष्कर सिंह शेखावत, - सदस्य ;  
बी-16, वैशाली नगर,  
जयपुर 302021
3. श्री मुकेश बिहारी शर्मा, - सदस्य ;  
बी 14, वैशाली नगर पुलिस स्टेशन के समीप,  
वैशाली नगर,  
जयपुर 302021
4. डा. लक्ष्मीकांत दशोरा, डीन - सदस्य ;  
बागवानी और वानिकी महाविद्यालय,  
झालारापत्तन, झालावाड़।
5. श्री बुद्धि प्रकाश पारेख, आईएफएस (सेवानिवृत्त) - सदस्य ;  
19 वृज कालोनी, हवा सड़क, चंबल पोइर हाऊस के पीछे,  
सिविल लाइंस, जयपुर 302019
6. डा. सुजा जोर्ज, - सदस्य ;  
प्रोफेसर रसायन इंजीनियरी विभाग,  
एमएनआईटी, जयपुर,  
जयपुर-302017
7. श्री विक्रम सिंह चौहान, आईएएस (सेवानिवृत्त) - सदस्य ;  
'प्रज्ञा', डी - 68 जेएलएन मार्ग, पुलिस स्मारक के समीप,  
जयपुर-302004
8. वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, - सदस्य-सचिव।  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

6. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

8. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. राजस्थान सरकार, प्राधिकरण, राजस्थान और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और प्राधिकरण, राजस्थान और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान के कानूनी कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं हैं, उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, राजस्थान और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता राजस्थान राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/29/2007-आई.ए. II(I)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2018

**S.O. 4797(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Rajasthan (hereinafter referred to as the Authority, Rajasthan) comprising of the following members, namely: -

- |      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| (1.) | Shri Ram Khilari Meena, I.A.S. (Retd.)<br>B - 75 Shankar Vihar,<br>50 Feet Gaitore Road, Sawai Gaitor, Jaipur - 302017 | - Chairman;         |
| (2.) | Dr. Anil Kumar Goel, I.F.S. (Retd.)<br>F 2/1 Forest Colony,<br>Sector 4 Jawahar Nagar, Jaipur                          | - Member;           |
| (3.) | Secretary, Environment Department, Government of<br>Rajasthan  | - Member Secretary. |

2. The Chairman and members of the Authority, Rajasthan shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Rajasthan shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Rajasthan shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan constituted under paragraph 5 of this order.

5. For the purposes of assisting the Authority, Rajasthan, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan comprising of the following members, namely: -

- |      |  |             |
|------|--|-------------|
| (1.) | Shri Manoj Kumar Agrawal,<br>Jigyasa, 153, Vivek Vihar, Opposite Dainik Bhaskar, J.L.N.<br>Marg, Jaipur - 302015 | - Chairman; |
|------|--|-------------|

- |      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| (2.) | Shri Pushkar Singh Shekhawat,<br>B-16, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021   | - Member;           |
| (3.) | Shri MukeshBehari Sharma,<br>B - 14, Near Vaishali Nagar Police Station,<br>Vaishali Nagar, Jaipur - 302021                        | - Member;           |
| (4.) | Dr. Laxmi Kant Dashora,<br>Dean, College of Horticulture and Forestry, Jhalrapatan,<br>Jhalawar                                    | - Member;           |
| (5.) | Shri Buddhi Prakash Parek, IF.S. (Retd.)<br>19, Brij Colony, HawaSadak, Behind Chambal Poer House,<br>Civil Lines, Jaipur - 302019 | - Member;           |
| (6.) | Dr. Suja George,<br>Professor, Chemical Engineering Department, MNIT Jaipur,<br>Jaipur - 302017                                    | - Member;           |
| (7.) | Shri Vikram Singh Chauhan, I.A.S. (Retd.)<br>'Pragya', D - 68, J.L.N. Marg, Near Police Memorial, Jaipur -<br>302004               | - Member;           |
| (8.) | Senior Environmental Engineer, Rajasthan State Pollution<br>Control Board  | - Member Secretary. |

6. The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Rajasthan shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Rajasthan and the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority, Rajasthan and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of Rajasthan.

[F.No. J-11013/29/2007-IA-II(I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.